IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, December 2022
Impact Factor: 6.252

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज कीमहिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की प्रासंगिकता

पंकज वर्मा[1] एवं डॉ रश्मि सिन्हा निगम[2]

शोध छात्र, शिक्षा प्रशिक्षण, जे. आर. एफ., दयानंद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर[1]

एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, दयानंद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर[2]

प्रस्तावना:

21वीं सदी में नारी कानून की दृष्टि में अब अबला नहीं सबला है। पुरूष जगत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट हुआ है कि नारी भी मानव जीवन का उतना ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग है जितना कि पुरुष। वह पुरुष की वासना-तृप्ति का एक साधन मात्र नहीं है बल्कि वह जननी, सहचारी एवं मार्गदर्शिका भी है। महिलाएं पुरुषों से किसी भी तरह से कमजोर नहीं है परंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है गत वर्षों में महिलाओं के अधिकारों का जितना उल्लंघन हुआ है शायद पहले कभी नहीं हुआ। समाज व राज्य के विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता के बावजूद महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार जैसे घरेलू हिंसा, कार्यस्थलों, सड़कों, सार्वजनिक यातायात एवं अन्य स्थानों पर होने वाली हिंसा में वृद्धि हुई है, इसमें शारीरिक मानसिक एवं यौन शोषण भी शामिल है। दैनिक समाचार पत्रों में दिन-ब-दिन अपराध की घटनाएं छपी होती है जो महिलाओं से संबंधित होती है जैसे बलात्कार, दहेज के लिए बहू को जलाना, प्रताड़ित करना तथा बालिका का भ्रूण हत्या, अपहरण, अगवा करना इत्यादि। यह सच है कि आज महिलाओं ने अपने आप को मुख्यधारा में शामिल कर लिया है परंतु उनके इस विकास में उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ मीडिया और भारतीय फिल्मों का भी अत्यंत योगदान है जो मानसिक तौर पर नारी को निरंतर मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें विकास की ओर गतिशील किया है। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि दुनिया में सबसे अधिक अपराध और अत्याचार महिलाओं के खिलाफ ही होते रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में महिलाएं और मानवाधिकार दोनों काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विश्व के लगभग सभी देशों में महिलाओं के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं, ताकि वह सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। महिला आंदोलन के इस दौर में एक ओर महिलाओं को अधिकाधिक अधिकार दिए जाने की कवायद चल रही है वहीं दूसरी ओर महिलाओं के बीच भी अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूकता बढ़ी है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की "मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा-पत्र" में भी महिलाओं को बिना भेदभाव के अधिकारों की प्राप्ति का अधिकारी माना गया है।